

PAG. 1222
21/11/19

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:प0 12(1)चिस्वा/2/2018पार्ट

जयपुर,दिनांक: 20.4.19

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

विषय: इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 12.09.18, 22.10.18 एवं 14.12.18 द्वारा पीजी करने वाले चिकित्सको को स्वीकृत किये गये अध्ययन अवकाश के सम्बन्ध में।

2260
25/11/19

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस इन सर्विस कोटे से पीजी करने वाले चिकित्सको को इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 12.09.18, 22.10.18 एवं 14.12.18 द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

1. समसंख्यक पत्र दिनांक 12.09.18 द्वारा डा स्नेहा, चिकित्सा अधिकारी(दंत) को स्वीकृत अध्ययन अवकाश की अवधि का नियमानुसार देय वेतनमान उनके मूल पदस्थापन स्थान से दिये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।
2. समसंख्यक पत्र दिनांक 22.10.18 द्वारा मेडिकल कॉलेज बीकानेर मे क्रम सं. 10 पर अंकित डॉ बनवारी लाल मीणा के प्रोबेशन काल में कार्यरत होने के कारण डॉ मीणा को स्वीकृत अध्ययन अवकाश निरस्त किया जाता है।
3. समसंख्यक पत्र दिनांक 14.12.18 द्वारा प्रदान की गई सहमति में झालावाड मेडिकल कॉलेज के क्रम संख्या 4 पर अंकित चिकित्सक के नाम में डॉ हनुमान सिंह के स्थान पर डॉ हनुमान प्रसाद संशोधित किया जाता है तथा मेडिकल कॉलेज कोटा के क्रम संख्या 4 पर अंकित चिकित्सक के नाम में जितेन्द्र नारायण के स्थान पर जितेन्द्र नरानिया संशोधित किया जाता है।

अग्रिम कार्यवाही से पूर्व निदेशालय/सम्बन्धित महाविद्यालय अध्ययन अवकाश की सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित कर लें। शेष शर्तें मूल स्वीकृति के अनुसार रहेंगी।

भवदीय,

(संजय कुमार)

(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज।
2. रक्षित पत्रावली।

(ओ0 पी0 वर्मा)

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई/चिअ/पीजी/2019/212 दिनांक 14/05/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प012(1)चिस्वा/2/2018पार्ट दिनांक 23.4.19 की पालना में।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग विश्वविधालय, जयपुर।
5. सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज,
6. कार्यालय अधीक्षक एटी सैल मुख्यालय।
7. प्रभारी, सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि आज ही विभागीय वेबसाईट पर डालने का श्रम करें।
8. सम्बन्धित डीए को चिकित्सा अधिकारी की पत्रावली हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।